न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या 61/2021 जिला सीकर

1. कज्जूराम पुत्र श्री हुक्माराम जाति जाट निवासी ग्राम चन्देली का वास पटवार मण्डल धोलासरी तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

—अपीलान्ट्स

बनाम

1. उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ जरिये तहसीलदार दांतारामगढ जिला सीकर।
2. राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार दांतारामगढ जिला सीकर।

—रेस्पोंडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध निर्णय श्री अशोक कुमार उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ जिला सीकर दिनांक 20.11.2020 प्रार्थना पत्र संख्या 14/2020 बउनवानी राजस्थान सरकार बनाम छोटी देवी व अन्य बाबत प्रार्थना पत्र धारा 131, 132 लैण्ड रेवेन्य एक्ट स्वीकार किया गया।

उपस्थित–

1. वकील अपीलान्ट श्री विवेक शर्मा
2. रेस्पोडेन्ट नं. 1 व 2 श्री चन्दशेखर बेनीवाल, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक –05.07.2022

यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ, जिला सीकर के निर्णय दिनांक 20.11.2020 के खिलाफ खिलाफ मियाद अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थना पत्र के साथ दिनांक 26.11.2021 को प्रस्तुत हुई है । प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि :–

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

तहसीलदार दांतारामगढ द्वारा ग्राम चन्देली का वास पटवार हल्का धोलासरी तहसील दांतारामगढ के खसरा नम्बर 542, 700/564, 560, 559, 552, 698/558, 602, 591, 591/751, 546 से होकर सार्वजनिक उपयोग में आने वाले रास्ते का राजस्व अभिलेख में अंकन करने हेतु रास्ता प्रस्ताव तहसीलदार द्वारा मय नक्शा ट्रेस प्रस्ताव दिनांक 22.10.2020 को उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ जिला सीकर को भिजवाये गये। प्रस्ताव अनुसार तहसीलदार, दांतारामगढ के द्वारा अभिशंसित प्रस्तावनुसार राजस्व अभिलेख व नक्शा ट्रेस में दर्ज खातेदारान की खातेदारी भूमि में से प्रस्तावित रास्ते को गैर मुमकिन रास्ते के रूप में दर्ज किये जाने के आदेश दिये गये। तहसीलदार दांतारामगढ को आदेश किया गया कि संलग्न प्रस्ताव व नक्शा ट्रेस खसरा नम्बरों की कृषि भूमियों बाबत राजस्व अभिलेख में जरिये ना. करण रास्ते के पृथक नंबर अंकित करते हुये रास्ते के रकबे की किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज जाने एवं नक्शे में तरमीम किये जाने व गैर मुमकिन रास्ते की भूमि सम्बन्धित खातेदारान के खाते में रखे जाने के आदेश दिये गये।

उप खण्ड अधिकारी दांतारामगढ जिला सीकर के उक्त अपीलाधीन निर्णय दिनांक 20.11.2020 से व्यथित होकर अपीलान्ट्स द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर स्वीकार करने एवं अपीलाधीन निर्णय उप खण्ड दांतारामगढ सीकर जिला सीकर दिनांक 20.11.2020 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गई ।

अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई । अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि राजस्व ग्राम चन्देली का वास पटवार हल्का धोलासरी तहसील दांतारामगढ जिला सीकर स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 542, 700/564, 560, 559, 552, 698/558, 602, 591, 591/751, 546 के सार्वजनिक रास्ते को रिकार्ड में अंकन करने हेतु प्रस्ताव मय नक्शा ट्रेस प्रस्ताव प्राप्त हुआ प्रकरण दर्ज रजिस्टर प्रकरण दिनांक 20.11.2020 को दर्ज करते हुये उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ

Scanned by CamScanner

ने तहसीलदार दांतारामगढ को आदेशित किया कि धारा 131 व 132 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1957 के नियम 58, 59, 60 व 86 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये नक्शा ट्रेस में अंकित खसरा नम्बर 542 रकबा 6.62 हैक्टेयर में से रकबा 0.0768 हैक्टयर खसरा नम्बर 700/564 रकबा 2.01 हैक्टेयर में रकबा 0.1368 हैक्टेयर खसरा नम्बर 559 रकबा 0.33 हैक्टेयर में से रकबा 0.0870 हैक्टेयर खसरा नम्बर 698/558 रकबा 1.86 हैक्टैयर में से रकबा 0.0816 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 602 रकबा 1.30 हैक्टेयर में से रकबा 0.0192 हैक्टेयर खसरा नम्बर 591/751 रकबा 0.03 हैक्टेयर में से रकबा 0.0120 हैक्टेयर खसरा नम्बर 542 रकबा 3.62 हैक्टेयर में से रकबा 0.0120 हैक्टेयर कृषि भूमि राजस्व अभिलेख के जरिये नामान्तकरण रास्ते को पृथक खसरा नम्बर अंकित करते हुये रास्ते के रकबे को किस्म गै0मु0 रास्ता अंकित किया तथा नक्शे में तरमीम किये जाने के आदेशित किया कि गै0मु0 रास्ते की भूमि संबंधित खातेदार के खाते में ही रखने तदानुसार तहसीलदार दांतारामगढ को राजस्व अभिलेख में उक्त आदेश को अमल दरामद करने के आदेश दिये गये। अपीलान्ट को निर्णय दिनांक 20.11.2020 की कोई जानकारी नही थी क्योंकि संबंधित प्रकरण में किसी प्रकार का कोई विधिक नोटिस अपीलान्ट को कभी प्राप्त नहीं हुआ इसलिये जानकारी का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। विधि की सुस्थापित व्यवस्था है कि किसी भी निर्णय से प्रभावित होने वाले पक्षकारों/व्यक्तियों को पक्ष समर्थन एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना कोई आदेश पारित नहीं किया जा सकता। परन्तु फिर भी विद्वान अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी का पक्ष समर्थन एवं सुनवाई का का अवसर प्रदान किये बिना ही अपीलाधीन निर्णय पारित फरमा दिया गया जो प्राकृतिक न्याय एवं न्याय प्रशासन के सर्वमान्य सिद्धान्तों के विपरीत होने की वजह से निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलार्थीगण को दस्तावेज का अवलोकन करने पर स्पष्ट हुआ है कि उक्त आदेश आज से लगभग 01 वर्ष बाला–बाला ही अपीलार्थी के विरूद्ध दर्ज कर दिये गये जिसमें अपीलार्थी की बारानी एवं चाही भूमि में से खसरा नंम्बर 591 में से 0.1320 हैक्टेयर खसरा नम्बर 591/751 में से 0.0120 हैक्टेयर भूमि गै. मु. रास्ते में दर्ज कर दी गई जो कि कतई न्यायोचित नहीं है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के खिलाफ एवं विधि विरूद्ध होने से अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.11.2020 को निरस्त किया जावे । अपीलान्ट को उक्त आदेश की जानकारी दिनांक 13.11.2021 को तब हुई जब संबंधित पटवारी ने अपीलान्ट को बताया कि तुम्हारे खेत में से राजस्व अभियान के तहत रास्ता निकाल करके तुम्हारे खाते की भूमि को गै0मु0 रास्ता दर्ज कर दिया गया है। इस पर अपीलान्ट को काफी हैरानी हुई। इस पर दस्तावेज प्राप्त करने हेतु अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 17.11.2021 को नकल प्रस्तुत की। तब जाकर दस्तावेज दिनांक 17.11.2021 को प्राप्त हुई। अपीलान्ट ने उक्त आदेश की प्रमाणित प्रति लिपि प्राप्त कर जानकारी से अन्दर मियाद अपील प्रस्तुत कर कर अपील प्रस्तुत की गई है। अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा किया जाकर अपील अन्दर समाहत फरमाई जावे।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के राजकीय अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि तहसीलदार दांतारामगढ द्वारा ग्राम चन्देली का बास पटवार हल्का धोलासरी तहसील दांतारामगढ के खसरा नम्बर 542, 700/564, 560, 559, 552, 698/558, 602, 591, 591/751, 546 से होकर सार्वजनिक उपयोग में आने वाले रास्ते का राजस्व अभिलेख में अंकन करने हेतु रास्ता प्रस्ताव मय नक्शा ट्रेस प्रस्ताव दिनांक 22.10.2020 को उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ जिला सीकर को भिजवाये गये। प्रस्ताव अनुसार तहसीलदार, दांतारामगढ के द्वारा अभिशंसित प्रस्तावनुसार राजस्व अभिलेख व नक्शा ट्रेस में दर्ज खातेदारान की खातेदारी भूमि में से प्रस्तावित रास्ते को गैर मुमकिन रास्ते के रूप में दर्ज किये जाने के आदेश दिये गये। तहसीलदार दांतारामगढ को आदेश किया गया कि संलग्न प्रस्ताव व नक्शा ट्रेस खसरा नम्बरों की कृषि भूमियों बावत राजस्व अभिलेख में जरिये ना. करण रास्ते के पृथक नंबर अंकित करते हुये रास्ते के रकबे की किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज जाने एवं नक्शे में तरमीम किये जाने व गैर मुमकिन रास्ते की भूमि सम्बन्धित खातेदारान के खाते में रखे जाने के आदेश दिये गये। अपीलार्थी के खेत नं. 591, 591/751 में जिस खसरा से रास्ता फैसल हुआ है, उसमें रास्ता के रकबा को अपीलार्थी की खातेदारी से पृथक नहीं किया गया है,

Scanned by CamScanner

केवल मौका स्थितिनुसार रास्ता का अंकन (तरमीम) होकर किस्म गै.मु. रास्ता दर्ज हुई है। फैसल रास्ता कई खसरा नम्बरान से गुजर रहा है, आम रास्ता है, शिविरों के दौरान ऐसे प्रकरणों में शासन द्वारा नोटिस जारी किये जाने का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। उनका कहना है कि मौके पर प्रचलित रास्ता होने पर आम जन की सुविधा को ध्यान में रखते हुए मौका देखकर रास्ते के प्रस्ताव दिये गये थे जो नियमानुसार स्वीकार कर रिकार्ड में दर्ज करने का निर्णय पारित किया गया है जो पूर्णतया विधि अनुसार है। अपीलाधीन आदेश तहसीलदार, पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने पारित किया है, जो उचित एवं विधिसम्यक है। अतः अपील अपीलान्ट में कोई सार नहीं होने से खारिज की जावे ।

हमने प्रकरण के अभिलेख को देखा। प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया एवं पक्षकारों के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अपीलान्ट को निर्णय की जानकारी उसे नकल दिनांक 17.11.2021 से प्राप्त होने पर बताया गया है। अतः न्यायहित में अपीलांट द्वारा पेश किए गये प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 कानून मियाद अधिनियम स्वीकार किए जाकर अपील पेश करने में हुई देरी को क्षम्य किया जाता है। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व तहसीलदार दांतारामगढ के प्रस्ताव दिनांक 22.10.2020 के अनुसार ग्राम चन्देली का बारा पटवार हल्का धोलासरी तहसील दांतारामगढ के खसरा नम्बर 542, 700/564, 560, 559, 552, 698/558, 602, 591, 591/751, 546 से होकर सार्वजनिक उपयोग में आने वाले रास्ते का राजस्व अभिलेख में अंकन करने हेतु रास्ता प्रस्ताव मय नक्शा ट्रेस प्रस्ताव दिनांक 22.10.2022 को उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ जिला सीकर को भिजवाये गये। प्रस्ताव अनुसार तहसीलदार, दांतारामगढ के द्वारा अभिशंसित प्रस्तावनुसार राजस्व अभिलेख व नक्शा ट्रेस में दर्ज खातेदारान की खातेदारी भूमि में से प्रस्तावित रास्ते को गैर मुमकिन रास्ते के रूप में दर्ज किये जाने के आदेश दिये गये। तहसीलदार दांतारामगढ को आदेश किया गया कि संलग्न प्रस्ताव व नक्शा ट्रेस खसरा नम्बरों की कृषि भूमियों बाबत राजस्व अभिलेख में जरिये ना. करण रास्ते के पृथक नंबर अंकित करते हुये रास्ते के रकबे की किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज जाने एवं नक्शे में तरमीम किये जाने व गैर मुमकिन रास्ते की भूमि सम्बन्धित खातेदारान के खाते में रखे जाने के आदेश दिये गये। प्रश्नगत रास्ता को बारहमासी तथा मौसम/ऋतुओं के अनुसार नहीं बदलने, आमजन के आने जाने हेतु उपलब्ध तथा सुचारू रूप से आवागमन होना करते हुए, राजस्व अभिलेख के स्थाई रूप से अंकन की अभिशंषा की गई है। अपीलार्थी के खसरा नं. 591, 591/751 में जिस खसरा से रास्ता फैसल हुआ है, उसमें रास्ता के रकबा को अपीलार्थी की खातेदारी से पृथक नहीं किया गया है, केवल मौका स्थितिनुसार रास्ता का अंकन (तरमीम) होकर किस्म गै.मु. रास्ता दर्ज हुई है। फैसल रास्ता कई खसरा नम्बरान से गुजर रहा है। मौके पर प्रचलित रास्ता होने पर आम जन की सुविधा को ध्यान में रखते हुए मौका देखकर रास्ते के प्रस्ताव दिये गये थे जो नियमानुसार स्वीकार कर रिकार्ड में दर्ज करने का निर्णय पारित किया गया है, जो पूर्णतया विधि अनुसार है। अपीलाधीन आदेश तहसीलदार, पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने पारित किया है, जो उचित एवं विधिसम्यक है तथा अपीलाधीन आदेश में हम हस्तक्षेप किया जाना उचित नही समझते हैं। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अपीलाधीन आदेश उप खण्ड अधिकारी दांतारामगढ, जिला सीकर दिनांक 20.11.2020 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(डॉ. गिरीश पाराशर)
अति. संभागीय आयुक्त,
जयपुर

Scanned by CamScanner